

{TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB SECTION (i)}

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 05/10/2012

G.S.R (E) ..... In the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India vide G.S.R (E)..... dated 21<sup>st</sup> September, 2012 relating to amendment of the Companies (Central Governments) General Rules and Forms (6<sup>th</sup> Amendments Rules, 2012) for Forms 23AC and 23ACA, in page number 7, in table number C and page number 8, table number E. In the said Rules, for the word “to Directors” appearing after the word loans and advances shall be substituted by word “by Directors.”

File No. 17/160/2012/CL-V

  
Avinash K Srivastava

Additional Secretary to Govt. of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: अक्टूबर, 2012.

**शुद्धिपत्र**

सा.का.नि. (अ) - कंपनी, (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (छठे संशोधन नियम, 2012) में प्रपत्र 23कग और 23 कगक के लिए संशोधन के लिए दिनांक 21 सितंबर, 2012 की सा.का.नि. (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 7, तालिका संख्या ग और पृष्ठ संख्या 8, तालिका संख्या ड. पर उक्त नियमों में ऋण और अग्रिम शब्दों के बाद "निदेशकों को" शब्द को "निदेशकों द्वारा" से प्रतिस्थापित किया जाए।

फा.सं. 17/160/2012/सीएलV

अ. कु. लो.  
(अविनाश कु. श्रीवास्तव)  
अपर सचिव, भारत सरकार